

राजस्थान सरकार  
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक: एफ.2(30)नविवि/3/2016पार्ट

जयपुर, दिनांक:-

20.5.17  
20 MAY 2017

आदेश

मुख्यमंत्री शहरी जन कल्याण योजना के अन्तर्गत आमजन की समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु विभिन्न प्राधिकरण/न्यासों द्वारा निम्न बिन्दुओं पर मार्गदर्शन जो निम्न प्रकार है:-

क. सं.	मार्गदर्शन का बिन्दु	विभाग का मार्गदर्शन
1	प्लान्टेशन जोन एवं ईको सेन्सेटिव जोन में 1 हेक्टेयर से ज्यादा भूखण्ड पर मैरिज गार्डन अनुज्ञेय करने के संबंध में।	विभागीय आदेश दिनांक 27.04.2017 द्वारा पूर्व में ही अनुज्ञेय किया जा चुका है।
2	अवाप्त भूमि जिनका अवार्डजारी किया जा चुका है व मुआवजा न्यायालय में जमा करा दिया गया है। ऐसी भूमियों पर 50 प्रतिशत से अधिक निर्माण हो गया है, भूमि का नियमन किया जावे अथवा नहीं।	राज्य सरकार द्वारा पूर्व में ही विभागीय आदेश दिनांक 02.11.2007 में अवाप्त भूमि पर 50 प्रतिशत निर्माण के प्रकरणों में नियमन की शक्तियां संबंधित नगरीय निकाय को दी गई तदनुसार कार्यवाही की जावे।
3	जिन योजनाओं में अवाप्त भूमि का मुआवजा भुगतान नहीं किया गया है व कब्जा भी प्राप्त नहीं किया है। ऐसे प्रकरणों में 25 प्रतिशत विकसित भूमि दिये जाने पर विचार किया जावे।	विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 25.04.2017 में यह प्रावधान पहले से ही है।
4	फ्री होल्ड लीजडीड का प्रारूप निर्धारित किया जावे।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
5	दिनांक 17.06.1999 से पूर्व के प्रकरणों में भी प्रीमियम शुल्क में 5 प्रतिशत वृद्धि के आदेश प्रदान करावे।	कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।
6	अनुसूचित जाति/ जनजाति की भूमि सामान्य वर्ग को इकरारनामे से विक्रय होने पर पटटे जारी किये जा सकते हैं अथवा नहीं।	शहरी क्षेत्रों में एस.सी./एस.टी. जमीनों पर कालोनी बस चुकी है। इकरारनामे के आधार पर बेचान हुआ है। तो ऐसी स्थिति अनुसार दिनांक 17.06.1999 से पूर्व या बाद की कालोनियों में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-ए के अन्तर्गत कार्यवाही कर नियमन किया जा सकता है।

7	गैर खातेदारी भूमि तथा अपंजीकृत दस्तावेज से क्रय की गयी भूमि का नियमन किया जा सकता है अथवा नहीं।	गैर खातेदारी भूमि का नियमन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यह खातेदारी का अधिकार नहीं है। अपंजीकृत दस्तावेज से क्रय की गयी भूमि का नियमन कर पट्टा जारी किये जाने का उल्लेख विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 में स्पष्ट है।
8	भूखण्ड के नियमन हेतु सड़क का मार्गाधिकार 30 फीट रखा जाना आवश्यक है। पूर्व में 30 फीट से कम चौड़ी सड़क पर पट्टे दिये हुये है, उस स्थिति में 30 फीट से कम सड़क होने पर पट्टे दिये जा सकते है या नहीं।	विभागीय आदेश दिनांक 25.04.2017 में स्पष्ट उल्लेख है कि सड़क की न्यूनतम चौड़ाई 30 फीट रखी जावे। जिन योजनाओं में पूर्व में 30 फीट से कम चौड़ी सड़क पर पट्टे जारी किये जा चुके है, उसमें पूर्वानुसार सड़क की चौड़ाई रखते हुए पट्टे दिये जा सकते है। आदेश दिनांक 25.04.2017 में यह स्पष्ट किया हुआ है।
9	पंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नाम परिवर्तन के प्रकरणों में मौके पर सेटबैक में निर्माण होने पर नाम परिवर्तन किया जावे अथवा नहीं।	समय समय पर जारी आदेशों में यह स्पष्ट किया हुआ है कि नाम हस्तान्तरण/पट्टा भूखण्ड का दिया जाता है, इससे निर्माण का नियमन नहीं होता है। अतः नाम हस्तान्तरण अथवा पट्टा जारी करते समय उक्त उल्लेख करते हुए अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 11.05.2017 के बिन्दु संख्या 3 के अनुसार कार्यवाही की जावे।
10	90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों पर पुरानी स्वीकृति के पश्चात सेटबैक में निर्माण होने पर शास्ति ली जावे अथवा नहीं।	90 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्डों में परिवर्तित सेटबैक नई निर्माण स्वीकृति पर ही लागू है पूर्व में तत्समय प्रचलित नियमों के आधार पर दी गयी स्वीकृति पर यह प्रावधान प्रभावी नहीं है।
11	राजकीय भूमि पर 300 वर्गमीटर क्षेत्रफल के आवासों के नियमन नहीं करने के निर्देश दिये गये है परन्तु न्यास की अवाप्तशुदा योजना में मौके पर निर्माण होने के कारण नियमन की कार्यवाही की जावे अथवा नहीं।	अवाप्तशुदा भूमियों पर मौके पर निर्माण होने की स्थिति में विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेशों के तहत नियमन की कार्यवाही की जा सकती है।

